



फाइल क्रं: - **A-24011/4/2022-MED-VI (ई-46631)**

दिनांक -

__ .04.2026.

कार्यालय ज्ञापन/ OFFICE MEMORANDUM

विषय: पैरामेडिकल संगत समूह 'ख' संवर्गों मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक सहायक (ईसीजी), व्यावसायिक (रेडियोलॉजी) वरिष्ठ तकनीकी चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ एवं दंत स्वच्छता विशेषज्ञ के लिए अखिल भारतीय सामान्य अंतिम वरिष्ठता सूचियां जारी करने के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक **05.04.2026**।

Subject: Regarding release of All India Common Final Seniority Lists for corresponding Paramedical Group 'B' Cadres Medical Record Officer, Senior Technical Assistant (Radiology), Senior Technical Assistant (ECG), Occupational Therapist, Physiotherapist, Dietician and Dental Hygienist regarding.

Reference: This office letter of even number dated **05.04.2026**.

संदर्भित पत्र के क्रम में, पैरामेडिकल संगत समूह 'ख' संवर्गों के लिए अखिल भारतीय सामान्य मसौदा वरिष्ठता सूचियां संबंधित अधिकारियों से आपत्तियां/अभ्यावेदन आमंत्रित करने के लिए प्रसारित की गई थी। इसमें निम्नलिखित संवर्ग शामिल हैं:

In continuation of the letter cited under reference, the All India Common Draft Seniority Lists for corresponding Paramedical Group 'B' Cadres was circulated for inviting objections/representations from the concerned officials. These include the following cadres:

पदोन्नति माध्यम (Promotion Cadre):

मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी (Medical Record Officer)	Seniority as on 27.11.2020.
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोलॉजी) [Senior Technical Assistant (Radiology)]	Seniority as on 08.01.2021.
वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ECG) [Senior Technical Assistant (ECG)]	Seniority as on 04.12.2020.

सीधी भर्ती माध्यम (Direct Recruitment Cadre):

व्यावसायिक चिकित्सक (Occupational Therapist)	Seniority as on 08.01.2021.
फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist)	Seniority as on 08.01.2021.
आहार विशेषज्ञ (Dietician)	Seniority as on 04.12.2020.
दंत स्वच्छता विशेषज्ञ (Dental Hygienist)	Seniority as on 11.12.2020.

आपत्तियां या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा अब समाप्त हो गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। जहाँ भी वैध पाया गया, अंतिम सूची में आवश्यक सुधार किए गए हैं। जिन मामलों में आपत्तियां स्वीकार्य नहीं पाई गईं, उन्हें सूची के टिप्पणी कॉलम में उचित टिप्पणी के साथ निस्तारित कर दिया गया है।

The stipulated time for submitting objections or representations has now lapsed. All representations received within the prescribed timeframe have been carefully examined. Wherever found valid, necessary rectifications have been incorporated into the

final list. In cases where the objections were not found sustainable, they have been disposed of with appropriate remarks in the remarks column of the list.

तदनुसार, उक्त संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा सभी संबंधितों की सूचना के लिए प्रकाशित और प्रसारित की जाती है। इस ग्रेड में वरिष्ठता के संबंध में अब किसी भी अन्य अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Accordingly, the Final Seniority Lists of the said cadres are hereby published and circulated for the information of all concerned. No further representations regarding seniority in this grade will be entertained.

सभी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह सूची इसमें शामिल संबंधित अधिकारियों द्वारा नोट कर ली गई है

All concerned controlling authorities are requested to ensure that the list has been noted by the officials concerned appearing in the list.

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the competent authority.

भवदीय,

संलग्नक: अंतिम वरिष्ठता सूचियां, आपत्ति प्रपत्र के परिणाम।

उप-निदेशक (चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:

1. संबंधित कर्मचारियों को उनके संबंधित नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से।
Officials concerned through their concerned controlling authorities.
2. सभी चिकित्सा आयुक्त / बीमा आयुक्त, क.रा.बी.नि. मुख्यालय (उनके पीपीएस/पीएस के माध्यम से) | All Medical Commissioners / Ins. Commissioners, ESIC Hqrs (through their PPS/PS).
3. सभी क्षेत्रीय बीमा आयुक्त / क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.नि. | All Zonal Insurance Commissioners / Zonal Medical Commissioners, ESIC.
4. क.रा.बी.नि. अस्पतालों / मेडिकल कॉलेजों के सभी डीन / चिकित्सा अधीक्षक / उप चिकित्सा अधीक्षक / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को इस अनुरोध के साथ कि इस ज्ञापन की एक प्रति स्थानीय वेबसाइट और सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें | All Deans/Medical Superintendents/Deputy Medical Superintendents/Jt. Directors / Dy Directors (Fin) / Assistant Director (Fin) of ESIC Hospitals/ Medical Colleges with the request to place a copy of this memorandum on the local website and Notice Board.
5. सभी संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय / संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय | All concerned Regional Directors, Regional Offices / Joint Directors / Deputy Directors (I/C), Sub Regional Office.
6. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा | Directorate (Medical) Delhi / Directorate (Medical) Noida.
7. चिकित्सा शाखा-V I / चिकित्सा शाखा-IV / चिकित्सा विधिक एवं एकीकरण / चिकित्सा सेवा शाखा / चिकित्सा (शिक्षा) शाखा, क.रा.बी.नि. मुख्यालय | Medical Branch-VI/ Medical Branch-IV/ Medical Legal & Integration/ Medical Services Branch/ Medical (Education) Branch, ESIC Hqrs.
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, क.रा.बी.नि. मुख्यालय (क.रा.बी.नि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) | Website Content Manager, ESIC Hqrs. (for

uploading on ESIC website)